राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
विशेष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की वि"ोष बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 को मुख्य सचिव, उतराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास), सचिव (वित्त, स्वास्थ्य), सचिव (वित्त, निर्वाचन), सचिव (सहकारिता, डेयरी), सचिव (उद्योग), सचिव (पर्यटन), अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उतराखण्ड शासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदे"ाक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब ने"ानल बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, राज्य सहकारी बैंक एंव ग्रामीण बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की वि"ोष बैठक में पंजाब ने"ानल बैंक की नैनबाग शाखा को उसके मूल स्थान द्वारगढ़ (गरखेत) में ि"ाफ्ट करने हेतु दिये गये निर्दे"ाों के अनुरुप पंजाब ने"ानल बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि गरखेत में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जानी प्रस्तावित है। अतः उक्त स्थान में पंजाब ने"ानल बैंक की शाखा को नैनबाग से द्वारगढ़ (गरखेत) में ि"ाफ्ट करना व्यवहार्य नही है, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :

1. <u>सामाजिक सुरक्षा योजना</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18,81,121, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 4,11,289, अटल पें"ान योजना में 2,45,663 खाताधारियों को आच्छादित किया गया है, अतः सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित खातों की संख्या में बृद्वि हो रही है। पी.एम.जे.डी.वाई. में 28,26,924 खाते खोले गये है, इनमें से 1,49,224 शून्य शेष खाते हैं, जिन्हे सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित नही किया जा सकता है।
- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्दे"ाानुसार तीन योजनाओं (पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई. एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं स"ाक्तिकरण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आद"ा ग्राम योजना के व्यापक विकास हेतु लागू किया जायेगा, जिससे कि आधिकाधिक खाताधारकों को उक्त योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके बैंक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अटल पें"ान योजना अन्तर्गत खातों को आच्छादित करने हेतु कैम्प आयोजित किये गये है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंकों को निर्दे"ात किया गया कि खाताधारकों को SMS के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाय तथा पाक्षिक अंतराल पर प्रगति की समीक्षा की जाय।

सचिव (वित्त एवं स्वास्थ्य), उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत सुझाव दिये गये :

- सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत जिलेवार आंकड़े उपलब्ध कराये जांय एवं जिन जिलों में आच्छादित खातों की संख्या कम है, उन जनपदों में योग्य खाताधारकों को आच्छादित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- मनरेगा, आंगनवाड़ी एवं आ"ाा कार्यकर्ताओं को अटल पें"ान योजना अन्तर्गत आच्छादित करने का प्रयास किया जाय।

(कार्यवाही : ग्राम्य विकास/महिला स"ाक्तिकरण/स्वास्थ्य विभाग/समस्त बैंक)

2. <u>आधार सीडिंग</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक पी.एम.ज.डी.वाई. अन्तर्गत खोले गये 28,26,924 खातों में से 21,83,281 खातों में आधार सीडिंग की गयी है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैंक शाखाओं को आधार सीडिंग बढ़ाने हेतु निर्दे"ात किया गया, जिससे पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को डी.बी.टी. का लाभ प्राप्त हो सके।

3. <u>Business Correspondent and Capacity Building</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों के 1044 बी.सी. द्वारा सर्टिफिके"ान कोर्स पूर्ण किया जाना अव"ोष है। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंकों को निर्दे"ात किया गया कि वे अव"ोष बी.सी. को सर्टिफिके"ान कोर्स 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करायें।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बी.सी. के रजिस्ट्रे"ान खर्चे की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा की जाती है।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बी.सी. को देय मानदेय के बारे में जानना चाहा, जिस पर सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मानदेय की दर बैंकों द्वारा भिन्न–भिन्न निर्धारित की गयी है तथा यह लगभग रु. 2,500/– प्रतिमाह है।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के बी.सी. को औसतन रु. 8,000/– की रा"ाि प्राप्त होती है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

4. <u>Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- 28 बैंकों द्वारा पुष्टि प्रेषित की गयी है, कि उनके द्वारा Standardized System (Block wise mapping) तैयार कर लिया गया है।
- समस्त बैंक माह दिसम्बर, 2020 का डाटा ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।
- कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा Standardized System (Block wise mapping) का कार्य पूर्ण किया जाना अव"ोष है।
- एक्सेस बैंक द्वारा जानकारी दी गयी है कि उनके बैंक का Standardized System (Block wise mapping) का कार्य 30 जून, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- कोटक महेन्द्रा बैंक से इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को कोई सूचना प्राप्त नही हुयी है।
- राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी प्राथमिक सहकारी समितियों (PACS) में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति"ाील है, जो कि 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण हो जायेगा।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा कोटक महेन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक को कहा गया कि उक्त कार्य को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करें।

(कार्यवाही : कोटक महिन्द्रा बैंक, एक्सेस बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक)

.

5. <u>प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- दिनांक 08 जनवरी, 2021 तक बैंक शाखाओं को प्राप्त 12710 ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष 7942 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा 5942 आवेदकों को रु. 5.89 करोड़ की रा"ि वितरित कर दी गयी है।
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्दे"ानुसार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना अन्तर्गत " मैं भी डिजिटल " कैम्पेन दिनांक 04.01.2021 से 22.01.2021 तक के अन्तर्गत, प्र"िाक्षण कैम्पों के आयोजन हेतु निर्दे"ित किया गया है।
- पी.एम. स्वनिधि योजना सम्बन्धित समस्या के निवारण के लिए सिडबी को **pmsvanidhi.support@sidbi.in** पर ई–मेल करें तथा निम्नाकित व्यक्तियों से सम्पर्क करें :
  1. श्री प्रियांसु मिश्रा, सहायक महाप्रबन्धक, कॉन्टेक्ट नम्बर – 011–23448465, 8289076509
  2. श्री राजे"ा कुमार, उप महाप्रबन्धक, कॉन्टेक्ट नम्बर – 7800590795

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पी.एम. स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निम्नवत निर्दे"ित किया गया है :

- समस्त बैंक पोर्टल में अपलोड किये गये ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण माह फरवरी, 2021 के अन्त तक करें।
- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब ने"ानल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, अतः इन बैंकों को ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति / वितरण में प्रगति दर्ज करनी होगी।
- समस्त बैंकों को उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करना है।
- योजना अन्तर्गत पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिनांक 26 जनवरी, 2021 के प"चात सभी जिलों से वी.सी. के माध्यम से बैठक आयोजित की जाय।

(कार्यवाही : शहरी विकास विभाग/समस्त बैंक)

6. <u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08 जनवरी, 2021 तक योजना अन्तर्गत 7420 ऋण आवेदन पत्र बैंक शखाओं को प्रेषित किये गये ह, जिनमें से 2376 स्वीकृत एवं 1306 वितरित किये गये हैं।

सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

- जिलेवार आबंटित लक्ष्यों को दोगुना कर दिया गया है एवं विभाग के पास पर्याप्त अनुदान रा"ि उपलब्ध है।
- कुछ बैंक शाखाओं द्वारा आवेदक से शैक्षिक योग्यता का प्रमाण एवं आयकर विवरणी की प्रति मांगी जा रही हैं।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चिन्यालीसौड़ शाखा को 186 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है, अतः विभाग से आग्रह है कि वे बैंक

शाखाओं को समान अनुपात में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करें, जिससे कि समय अवधि में ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्भव हो सके।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत आग्रह किया गया :

- जिलेवार पुनः निर्धारित किये गये लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित करें, जिससे समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अवगत कराया जा सके।
- योजना अन्तर्गत आवेदकों को RSETI द्वारा EDP प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, अतः अन्य विभागों/संस्थानो से भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा योजना अन्तर्गत बैंको द्वारा दर्ज की गयी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा बैंकों से आग्रह किया कि बैंक पोर्टल में स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का ऋण वितरण शीघ्र करें एवं मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त करने हेतु शीघ्र आवेदन करें।

सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंकों से कहा गया कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निष्पादन करें।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग, / समस्त बैंक)

7. सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं :

(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (व्यक्तिगत) (NULM Individual) :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 1634 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 541 स्वीकृत एवं 449 वितरित किये गये हैं। साथ ही समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करें, जिससे समय अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 13032 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 5529 स्वीकृत किये गये हैं।

अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंक शाखाओं द्वारा निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक है, अधिकतम ऋण आवेदन पत्रों को "project not viable" कारण से निरस्त किया जा रहा है तथा बैंक शाखाओं द्वारा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज नही किया जा रहा है। अतः समस्त बैंक ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज करें।

अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे बैंक शाखाओं में 61 दिन से अधिक लम्बित 2127 ऋण आवेदन पत्रों का अतिशीघ्र निस्तारण करें तथा बैंक शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि योजना अन्तर्गत निष्पादित ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज करें तथा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करें, जिससे समय अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 6154 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 1895 स्वीकृत एवं 1088 वितरित किये गये हैं तथा योजना अन्तर्गत मार्जिन मनी हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 39.77 करोड़ के सापेक्ष रु. 20.94 करोड़ माजिन मनी वितरित की गयी है। सहायक महाप्रबन्धक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि योजना अन्तर्गत आवेदकों को RSETI द्वारा EDP प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, अतः उद्योग विभाग से आग्रह है कि अन्य विभाग/संस्थानो से भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंकों से कहा गया कि बैंक शाखाओं में एक माह से अधिक लम्बित 523 ऋण आवेदन पत्रों का अतिशीघ्र निरस्तारण करें तथा बैंक शाखायें, प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निस्तारण करें।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया गया कि वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पोर्टल में दर्ज ऋण आवेदन पत्रों का समय अवधि में निस्तारण करें एवं प्रथम किस्त निस्तारण के पश्चात मार्जिन मनी ऑन लाईन क्लेम लॉज करें तथा आवेदक को EDP प्रशिक्षण on line / off line करने हेतु कहें।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड / समस्त बैंक)

(iv) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :
दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 300 ऋण आवेदन पत्र बैंक शखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 158 स्वीकृत एवं 112 वितरित किये गये हैं तथा दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत 246 ऋण आवेदन पत्र बैंक शखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 76 स्वीकृत एवं 64 वितरित किये गये हैं।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा उपरोक्त दोनो योजनाओं का पोर्टल बनाया जाना प्रतीक्षित है।

सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उपरोक्त दोनो योजनाओं का पोर्टल तैयार है। सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग से आग्रह किया गया कि वे निम्नानुसार आई.डी. एवं पासवर्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने की

कृपा करें, जिससे कि योजना की प्रगति की निगरानी एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों / बैंक नियंत्रकों के स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही संभव हो सके :

i) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड,

ii) अग्रणी जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड

iii) बैंक नियंत्रक, उत्तराखण्ड

iv) राज्य में कार्यरत बैंक

सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समस्त बैंकों से कहा गया कि उक्त दोनो योजनाओं के अन्तर्गत बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय अवधि में निरस्तारण करें।

सचिव, वित्त एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि गैर–वाहन मद में प्रगति कम है, अतः समस्त बैंक गैर–वाहन मद में प्रगति दर्ज करें।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विभाग को निर्दे"ात किया गया कि विभाग द्वारा ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में online submit कर बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : पर्यटन विभाग / समस्त बैंक)

(v) <u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u> (शहरी) :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 796 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं तथा एन.एच.बी. एवं हुडको द्वारा माह सितम्बर, 2020 तक 1451 स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में 28.79 करोड़ की अनुदान रा"ि वितरित की गयी है।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ("ाहरी) मे एम.आई.जी.–1 एवं एम.आई.जी.–2 श्रेणी अन्तर्गत यह योजना 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी।

(vi) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 50367 आवेदकों को रु. 746.60 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया हैं।

सचिव, वित्त एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अन्तर्गत प्रगति का आंकलन करने पर समस्त बैंकों को निर्दे"ात किया गया कि विगत वर्ष की तुलना में प्रगति कम दर्ज की गयी है, अतः समस्त बैंक मुद्रा योजना अन्तर्गत ऋण वितरण में प्रगति दर्ज करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

(vii) <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक योजना अन्तर्गत 1341 ऋण आवेदन पत्र बैंक शखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 662 स्वीकृत एवं 628 वितरित किये गये हैं।

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. के प्रतिनिधि द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- बैंक शाखाओं द्वारा ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज नही किया जा रहा है।
- उद्यम सिंह नगर एवं हरिद्वार जिले में बैकों द्वारा छोटी–छोटी आपत्तियां लगाकर ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा रहा है।

इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा कहा गया कि एसे निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों में दर्ज आपत्तियों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत करायें तथा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण पोर्टल में दर्ज करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

8. **<u>अल्मोड़ा जिले को 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन किया जाना :</u>**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की उन ग्राम पंचायतों की सूची मांगी गयी है, जहां पर low connectivity की समस्या है। ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में Bhart Net broadband infrastructure का उपयोग कर कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जानी है।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नोडल अधिकारी को अल्मोड़ा जिले के Merchants/Traders/Public Utilities का Field Level Survey कर डाटा तैयार कर, जिले में कार्यरत बैंकों को तदनुसार डिजीटाईजेशन हेतु लक्ष्य आबंटित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी सूचना प्रतीक्षित है।

राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी प्राथमिक सहकारी समितियों (PACS) में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगतिशील है, जो कि 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण हो जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि सेवा प्रदत्त विभागों (विद्युत बिभाग, बी.एस.एन.एल., जल संस्थान विभाग) को डिजीटल सुविधा प्रदान की जाय तथा विभागों के समस्त लेनदेन डिजीटल हों।

अल्मोड़ा जिला के शत प्रतिशत डिजीटाइजेशन की प्रगति समीक्षा हेतु वी.सी. के माध्यम से जिला अधिकारी, अल्मोड़ा के साथ बैठक आयोजित की जाय।

(कार्यवाही : विद्युत बिभाग, बी.एस.एन.एल., जल संस्थान विभाग / नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा /समस्त बैंक)

9. <u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा शासन से आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पर सितम्बर, 2020 तक व्यय की गयी लम्बित राशि **₹ 54.45 लाख** की प्रतिपूर्ति हेतु आग्रह किया गया।

अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा आरसेटी भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि में बैंक सी.एस.आर. फण्ड से आरसेटी हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करें और यदि भवन निर्माण में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो इस विषयक शासन को अवगत करायें।

(कार्यवाही : ग्राम्य विकास विभाग / सम्बन्धित बैंक)

10. <u>लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- 30 सितम्बर, 2020 तक 44166 वसूली प्रमाण पत्र (आर.सी.) रु. 608.42 करोड के प्रशासन स्तर पर लम्बित हैं।
- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण हेतु आवेदन पत्र (application for physical possession of property) जिला अधिकारियों के पास 60 दिन से अधिक अवधि से लम्बित हैं, जिस कारण एन.पी.ए. की वसूली नही हो पा रही है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसानो को गन्ना फसल के लिए के.सी.सी. ऋण दिया जाता है तथा सहकारी गन्ना विकास समिति गन्ने की फसल का भुगतान कृ'ाकों के के.सी.सी. खाते में न करके, दूसरे बैंक में खाले गये खातों में जमा करती है, जिस कारण के.सी.सी. खाते एन.पी.ए. हो जाते है। अतः इस विषयक शासन स्तर से सहकारी गन्ना विकास समिति, लिबरहेडी, मंगलौर, हरिद्वार को निर्दे"ात किया जाय कि उनके द्वारा गन्ने का भुगतान किसानो के के.सी.सी. खाते में ही किया जाय तथा बिना बैंक की सहमति/एन.ओ.सी. के किसानो के खाते दूसरे बैंक में स्थानान्तरित ना किये जाय।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत निर्दे"ात किया गया :

- लम्बित वसूली प्रमाण पत्रो (आर.सी.) के निस्तारण हेतु जिला अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये जांय तथा यह कार्य दो माह की अवधि में पूर्ण कर लिया जाय।
- सहकारी गन्ना विकास समिति को उक्त विषयक निर्दे"ा जारी किया जाय।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग / सहकारिता विभाग)

11. <u>दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- दुग्ध संघों एंव दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से संबंधित डेयरी फार्मर्स (Dairy Farmers) को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों एवं पोर्टल में दर्ज ऋण आवेदन पत्रों का मिलान नही हो रहा है।
- विभाग से आग्रह किया गया कि वे ऋण आवेदन पत्र उसी बैंक शाखा में प्रेषित करे, जिस शाखा से आवेदक ने कृषि मियादि ऋण (ATL) लिया है।

सचिव, सहकारिता एंव डेयरी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंक शाखाओं द्वारा आवेदकों से भूमि के प्रपत्र मांगे जा रहे हैं, जबकि योजना अन्तर्गत land holding की आव"यकता नही है।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

- भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा द्वारा यदि land holding सम्बन्धी प्रपत्रों के कारण ऋण आवेदन पत्र निरस्त किये जा रहे हैं तो कृपया इस विषयक हमें अवगत कराने का कष्ट करें।
- योजना अन्तर्गत प्रगति की अनुवती कार्यवाही हेतु बैंक नियंत्रकों के आई.डी., पासवर्ड बनाये जाय।

अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैंक नियंत्रकों के आई.डी., पासवर्ड बनाये जाने हेतु विभाग को निर्दे"ात किया गया।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा कहा गया कि यदि किसी बैंक शाखा द्वारा भूमि के प्रपत्रों के कारण ऋण आवेदन पत्र निरस्त किया जा रहा है, तो कृपया इन मामलो से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत करायें। साथ ही बैंक नियंत्रकों को निर्दे"ात किया गया है कि वे अपनी शाखाओं में प्राप्त क.सी.सी. डेयरी के ऋण आवेदन पत्रों को पी.एम.एफ.बी.वाई. पोर्टल में अपलोड करें।

(कार्यवाही : डेयरी विभाग)

12. <u>मत्स्य पालन – किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान :</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

- मतस्य पालन – किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता (KCC Saturation) अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों एवं पोर्टल में दर्ज ऋण आवेदन पत्रों का मिलान नही हो रहा है।
- विभाग से आग्रह है कि वे बैंक शाखाओं को प्रषित ऋण आवेदन पत्रों का मिलान करें।

13. <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एंव मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)</u> :

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उधम सिंह नगर जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा खरीफ 2019 में 20,000 ऋणी कृ'ाकों को तथा खरीफ 2020 में मात्र 95 ऋणी कृ'ाकों को बीमित किया गया था, इस विषयक मुख्य विकास अधिकारी, उधम सिंह नगर की अध्यक्षता में जांच हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि उधम सिंह नगर जिले में सहकारी बैंक के शाखा प्रबन्धकों द्वारा कृ'ाकों से opt out फार्म में हस्ताक्षर करा लिये गय थे तथा इस विषयक कृ'ाकों को जानकारी नही दी गयी थी। कृ'ाक द्वारा opt out फार्म भरकर तभी देना होता है, जब कृ'ाक फसल बीमा नही कराना चाहता ह।

इसी अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को निर्दे"ात किया गया कि वे इस विषयक जिला सहकारी बैंक को advisory जारी करें।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए.आई.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) रबी 2020–21 के अन्तर्गत बीमित कृ'ाकों के डाटा को पोर्टल में अपलोड करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 2021 है, अतः समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे समय से पूर्व उक्त कार्य को पूर्ण कर लें।

(कार्यवाही : राज्य सहकारी बैंक)

14. <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

<u>किसानों की आय दोगुना करने हेतु समिति का गठन</u> :

कृ'ाकों की आय दोगुना करने विषयक चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कृषि विभाग से जानना चाहा कि क्या इस विषयक आपके द्वारा बैठक आयोजित की गयी है और यदि बैठक नही की गयी है तो माह जनवरी, 2021 में बैठक आयोजित की जाय, जिसमें कृ'ाकों की आय दोगुना करने हेतु कार्य योजना बनायी जाय।

अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड को निर्दे"ित किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी की गयी योजना Financing facility under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर वर्क"ाॉप आयोजित किया जाय, जिसमें जिला उद्योग केन्द्र, कृषि, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग आदि विभागों को आमंत्रित किया जाय। वर्क"ाॉप में योजना एवं projects के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाय।

(कार्यवाही : कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन / नाबार्ड)

15. <u>इमरजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि फेज–1 में योजना अन्तर्गत 95916 योग्य खातों में से 64057 खाताधारकों को रु. 1660.82 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं तथा फेज–2 में 995 योग्य खातों में से 66 खाताधारकों को रु. 53.95 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

16. <u>Distressed Assets Fund – Subordinate Debt for Stressed MSMEs Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD)</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजना अन्तर्गत 321 योग्य खातों में से 20 खाताधारकों को रु. 50.97 लाख़ स्वीकृत किये गये हैं।

अध्यक्ष, इन्डस्टोज एसोसिये"ान ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के दि"ाानिर्दे"ाानुसार एम.एस.एम.ई. इकाईयों हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुरुप बैंक शाखाओं द्वारा ऋण नही दिया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कहा गया कि एसे मामलों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया जाय। साथ ही समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्दे"ित किया गया कि वे बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को समय अवधि में निस्तारित करना सुनि"िचत करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत निम्न विषय पर सदन में चर्चा की गयी।

<u>Scaling up of Centres for Financial Literacy (CFL) Project</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदे"ाक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि National Stratgy for Financial Inclusion (NSFI : 2019-2024) के तहत Centre for Financial Literacy (CFL) Project को राज्य के प्रत्येक ब्लाक में चरण बद्व तरीके से खोलना प्रस्तावित है।

उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में CRISIL Foundation (NGO) को सभी 16 CFLs खोलने का कार्य दिया गया है।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड